



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अरपताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001
email- jda.jodhpur@yahoo.com वेब-राईट jodhpurjda.org Phone No 0291-2612086/2616115-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/584

दिनांक:- 22/12/2023

—:कार्यवाही विवरण:—

विषय:- भवन मानचित्र समिति जोन-2 (ले-आउट प्लान) की 38/2023 की बैठक दिनांक 22.12.2023 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

एजेण्डा संख्या 01 :-

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की जोन-2 की 32/2023 वीं बैठक दिनांक 05.10.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय:- समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 02 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-2	कुडी भगतासनी	309/6, 309/7 व 309/8	6640.67 वर्गमीटर	वाणिज्यिक एकल (ऑटो मोबाईल शोरूम)
आवेदक	श्री विक्रम सिंह गहलोत पुत्र स्व. श्री ओमदत्त गहलोत, श्री राजेन्द्र सिंह गहलोत पुत्र स्व. श्री ओमदत्त गहलोत एवं श्रीमती सुनीता गहलोत पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह गहलोत				
विषय:-	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 309/6, 309/7 व 309/8 रकबा 6640.67 वर्गमीटर में वाणिज्यिक एकल (ऑटो मोबाईल शोरूम) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 01. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई मास्टर/जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार 60 मीटर रखी जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से आरक्षित रखी जावें। 02. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 03. आवेदित भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग से पहुँच मार्ग दर्शाया गया है अतः राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे। उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें। 04. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 05. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 06. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।				

एजेण्डा संख्या 03 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-2	झालामण्ड	739 / 1	16227 वर्गमीटर	आवासीय योजना
आवेदक	श्री शंकरलाल पुत्र श्री हुकमाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 739 / 1 रकबा 16227 वर्गमीटर में 16227 वर्गमीटर आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 01. आवेदित भूमि को 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे एवम् उक्त रास्ते की सुनिश्चितता उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 02. आवेदित भूमि में से गुजर रही एच.टी.लाइन की क्षमता व दुरी की रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार सेपटी कॉरिडोर का प्रावधान किया जावे। 03. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (क्सवजजमक कमअमसवचउमदज चत्वरमबज) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 04. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 05. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 06. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावे। 07. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 08. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 09. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।				

एजेण्डा संख्या 04 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-2	झालामण्ड	391, 392 / 1 व 395 / 9	15863.68 वर्गमीटर	आवासीय योजना
आवेदक	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिसिंह एवं श्री रामचन्द्र पुत्र श्री कबूराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 391, 392 / 1 व 395 / 9 रकबा 15863.68 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 01. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डबलपगेंट प्लान अनुसार 30 मीटर आरक्षित रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 15 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 02. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी				

	खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (क्सवजजमक वमअमसवचउमदज च्त्वरमवज) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 03. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 04. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 05. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावें। 06. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 07. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 08. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।
--	--

एजेण्डा संख्या 05 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-2	भाकरासनी	83/9, 83/11 व 376/83	15377 वर्गमीटर	आवासीय योजना
आवेदक	श्री प्रेमलाल पुत्र श्री बाबुलाल, श्री रमेश कुमार खारवाल पुत्र श्री अमरत कुमार खारवाल एवं श्री लूनकर पुत्र श्री महावीर लूनकर				
विषय:-	राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 83/9, 83/11 व 376/83 रकबा 15377 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 01. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर आरक्षित रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु सड़क मध्य से 15 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क समर्पित करवायी जावे। 02. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (क्सवजजमक वमअमसवचउमदज च्त्वरमवज) में पट्टे जारी करने से पहले योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 03. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 04. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 05. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार एवं नियमानुसार अन्य समस्त देय राशि जोन स्तर पर वसूल की जावें। 06. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे				

— 2 —

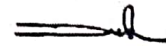
	कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 07. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 08. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।
--	--

एजेण्डा संख्या 06 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-2	कुडी भगतासनी	356/40/1	575.5 वर्गमीटर	आवासीय एकल
आवेदक	श्रीमती शीतल बिश्नोई पत्नी श्री रतन बिश्नोई				
विषय:-	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 356/40/1 रकबा 575.5 वर्गमीटर में आवासीय एकल प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि में से गुजर रही मास्टर डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित सड़क का अलाईमेंट विद्यमान सड़क के अनुरूप संशोधित किये जाने की कार्यवाही उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 07 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-2	कुडी भगतासनी	36/1	514.40 वर्गमीटर	आवासीय एकल
आवेदक	श्री रतन बिश्नोई पुत्र श्री बी.आर. बिश्नोई				
विषय:-	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 36/1 रकबा 514.40 वर्गमीटर में आवासीय एकल प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 01. आवेदित भूमि को पूर्व कमिटमेंट अनुसार 30 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। अतः राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.11.2016 के परिपेक्ष में 30 फीट सड़क मार्गाधिकार पर ले-आउट प्लान अनुमोदन किये जाने की शिथिलता प्रदान की जाती है। 02. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे। 03. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 04. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 05. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 06. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				



एजेण्डा संख्या 08 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
22.12.2023	जोन-2	विवेक विहार	सेक्टर- जे	-	प्राधिकरण की योजना
आवेदक	प्राधिकरण की योजना				
विषय:-	प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में व्यवसायिक भूखण्डों पर अतिक्रमण से प्रभावित भूखण्डों के संबंध में।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा कार्यकारी समिति के निर्णय अनुसार आवंटित भूखण्डों के बदले अन्यत्र समकक्ष भूखण्ड देने हेतु उचित स्थान का आयोजना शाखा व जोन स्तर परीक्षण करते हुए प्रकरण को आगामी ले-आउट प्लान समिति की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।				

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


22/12/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/ 585-89. दिनांक:- 22/12/2023

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
04. उपायुक्त (जोन-2), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।


22/12/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-"1"

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 38/2023 की बैठक दिनांक 22.12.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. हरितीमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री राजपाल यादव, उपायुक्त (जोन-2) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


22/12/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर